न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–01 / 2016

वादीगण

1. वेहनाराम पुत्र लाधाराम
2. ईशराराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दमाराम पुत्र लाधाराम
2. लुम्बाराम पुत्र लाधाराम
3. प्रभुराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे., बैंक शाखा भूका वगतसिंह
5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री बींजाराम गोदारा वकील वादीगण।
2. श्री रिड़मलराम चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 1
3. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3
4. पैरोकार सरकार उप.।
5. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 09.07.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की कयशुदा भूमि खसरा न[illegible] रकबा 68–16 बीघा ग्राम भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पिता एवं प्रभूराम ने खातेदार अणदसिंह बींजराजसिंह पि. पहाड़सिंह [illegible] बेचान कय की थी। उक्त भूमि का 1 / 3 हिस्सा प्रभूरांम ने एवं 2 / 3 हिस्सा लाधाराम ने कय किया था। वक्त खरीद लाधाराम के चारों पुत्र नाबालिग थे। भूमि संयुक्त पारिवारिक आय से`कय किये जाने के बावजूद बेचानपत्र में अपने चारों पुत्रों– वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2– का नाम दर्ज करवाने के बजाय केवल प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम 2 / 3 हिस्से में दर्ज करवा लिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:57 IST
Reason: SelfAttested

से वादीगण अपने वादग्रस्त भूमि में निहित हकों से महरूम हो गये जबकि मौके पर 1/6–1/6 हि. पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और 1/3 हि. पर प्रतिवादी सं. 3 का कब्जा काश्त है। यद्यपि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हिस्से में दर्ज वादीगण के 1/6 हिस्से की भूमि जरिये दानपत्र वादीगण के नाम दर्ज करवा दी, तथापि उनका समग्र वादग्रस्त भूमि मे 1/6–1/6 हि. प्रत्येक का होने से इसी अनुसार खातेदारी मे घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने जवाब में वाद के समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए वादग्रस्त भूमि के 2/3 हिस्से में प्रत्येक वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि अपनी स्वार्जित आय से क्रय किये जाने तथा प्रत्येक प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा 1/3–1/3 हिस्सा क्रय किये जाने से इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हुआ। बाद में प्रतिवादी सं. 2 लूम्बा द्वारा अपने 1/3 हिस्सें में से 1/6 हिस्से का वादीगण के नाम जरिये दानपत्र दान करने से वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हि. एवं पृथक–पृथक 1/12–1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा होने से इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हुआ। इसी माफिक पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उनके पिता द्वारा क्रय किये जाने तथा 1/3 हि. पर अपना हक व कब्जा काश्त होने की बात गलत व मनगढ़त दर्ज करवाई है। अतः वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त पृथक की जावे तथा वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः–

1. आया वादग्रस्त आराजी भौजा भूंका थानसिंह की खत खसरा नंबर 60 रकबा 68–16 बीघा का हिस्सा 2/3 वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता स्व. लाधाराम ने अपनी स्वअर्जित आय से अवयस्क पुत्रों के नाम से खरीदी है?

3. आया जिस दिन वादग्रस्त आराजी खरीदी गई उस समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अवयस्क थे तथा उनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं था ?

जिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी की राशि के दो हिस्सो का भुगतान वादीगण के पिता ने व एक हिस्से का भुगतान प्रतिवादी संख्या 3 ने किया ?

जिम्मे वादीगण

5. आया वादग्रस्त आराजी हिस्सा 2/3 पर, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा है, तथा आपसी सहमति से विभाजन कर काश्त करते आ रहे है ? जिसे वादी आया वादग्रस्त आराजी हिस्सा 2/3 कीमत का चुकाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी स्तर से किया है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

6. आया वादग्रस्त आराजी में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/3 है, जिसे वादी बाई मिटस एण्ड बाउण्ड शेष सहखातेदारी से जरिये विभाजन पृथक कराने का अधिकारी है?

जिम्में प्रतिवादी संख्या 1

7. आया प्रतिवादी संख्या 1 माफिक प्रतिदावा शेष पक्षकारान के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन में वेहनाराम PW-1, सूराराम PW-2 एवं जयसिंह PW-3 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस EXP-1, चालू जमाबन्दी EXP-2, रजिस्ट्रर्ड बेचान पत्र EXP-3, दमाराम परिवार का भामाशाह कार्ड EXP-4,ईशराराम का आधार कार्ड EXP-5, मतदाता पहचान पत्र EXP-6 व भामाशाह कार्ड EXP-7, ईशराराम का परिवार राशनकार्ड EXP-8, लूम्भाराम का मतदाता पहचान पत्र EXP-9, परिवार राशनकार्ड EXP-10, ईशराराम के भामाशाह कार्ड की पावती रसीद EXP-11, विशनाराम का आधार कार्ड EXP-12, मतदाता पहचान पत्र EXP-13, भामाशाह कार्ड EXP-14 व परिवार राशनकार्ड EXP-15 तथा लुंभाराम का आधार कार्ड EXP-16 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही दस्तावेजी साक्ष्य।

बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता लाधाराम ने अपने पुत्रों की नाबालिंग अवस्था में ग्राम भूका थानसिंह की ख.न. 60 रकबा 68–16 बीघा भूमि का संयुक्त पारिवारिक आय से 2/3 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। पक्षकार जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित होते है। चूंकि वक्त खरीद लाधाराम के चारों पुत्र नाबालिंग थे। अतः उक्त क्रयशुदा भूमि चारों में बहिस्सा बराबर निहित होगी। बेचान पत्र में नाम दर्ज नहीं के आधार पर किसी को भी उसके जायज हकों से वंचित नहीं किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:57 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा यथावत रखवाते हुए 1/6–1/6 हि प्रत्येक वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में घोषित करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद करवाने के अधिकारी है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं 1 की बहस है कि वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वार्जित आय से क्रय करने एवं वक्त खरीद से 1/3 हिस्से की भूमि पर उसी का लगातार कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी सं 1 अपने 1/3 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किये जाने की वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का तनकीवार विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन कियरा।

तनकी सं. 1 से 4:– तनकी संख्या 1 वादीगण की उनके पिता लाधाराम द्वारा अपनी स्वार्जित आय से संयुक्त पारिवारिक आवश्यकता के लिए अपने अव्यस्क पुत्रों के नाम से 2/3 हिस्सा क्रय करने, तनकी सं. 2 इसी भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 द्वारा क्रय करने, तनकी सं. 3 वादग्रस्त भूमि खरीद के वक्त प्रतिवादी सं. 1 व 2 नाबालिग होने तथा उनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं होने तथा तनकी सं. 4 वादग्रस्त भूमि क्रय के 2/3 हिस्से का भुगतान वादीगण के पिता द्वारा तथा 1/3 हिस्से का भुगतान प्रतिवादी सं. 3 द्वारा करने की वादीगण की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है। के तनकियात वादग्रस्त भूमि की खरीद से सम्बद्व है, अतः इनका विवेचन एक साथ किया रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त की खरीद के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 नाबालिंग थे तथा भरणपोषण के अपने पिता लाधाराम पर आश्रित थे। कानून का यह स्पष्ट प्रावद्यान है कि जंहा लिंगों के नाम से भूमि क्रय की जाती हो, वंहा वह भूमि संयुक्त पारिवारिक आय से ाण के वालिद द्वारा क्रय की हुई मानी जाएगी और उस पर केतागण के वालिद के वारिसान का हक होगा तथा उनमें से किसी का उसके हक से महरूम नहीं जावेगा। चूंकि वक्त खरीद वादीगण नाबालिंग थे उक्त भूमि पर उनके पिता म के समस्त वारिसान का बहिस्सा बराबर हक होगा। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त र 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का एवं 1/6–1/6 हि. वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि का 1/6–1/6 हिस्सा अपनी ी में घोषित करवाने के अधिकारी है। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 5 से 7:– तनकी सं. 5 वादग्रस्त भूमि के 2/3 हिस्से का चुकारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने स्तर से करने, तनकी सं. 6 प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से की भूमि पृथक करवाने तथा 1/3 हिस्से में अन्य पक्षकारों के विरूद्व हस्तक्षेप नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष से सम्बद्व है। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त तनकियात को साबित करने हेतु न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न दस्तावेजी साक्ष्य ही। इसके विपरीत वादीगण तनकियात सं. 1 से 4 के विवेचन में स्वयं को वादग्रस्त भूमि के 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार साबित कर चुके है। चूंकि वादग्रस्त भूमि में स्वयं को 1/6 हिस्से से अधिक का हकदार साबित करने में प्रतिवादी सं. 1 विफल रहा है। अतः वह 1/3 हिस्से के सम्बन्ध में न तो विभाजन की और न ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। लिहाजा तनकी सं. 5 से 7 प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का 2/3 हिस्सा वादीगण के पिता लाधाराम द्वारा बहैसियत वली प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रय किया था और इस लिहाज से उक्त भूमि पर उसके समस्त वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बहिस्सा बराबर हक है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया ग्राम भूकां थानसिंह तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 60 रकबा 68–16 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा यथावत रखते हुए 1/6–1/6 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी